

मूल वाद में अन्तिम दिकी  
बमुकद में ईबादाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्याप्रक्रिया संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठारसीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 651/2022

वादपत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.



1. मखन सिंह पुत्र केहर सिंह जाति जटसिख निवासी हनुमानगढ़ तहसील व  
जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम्

1. आत्मा सिंह पुत्र लाल सिंह (फौत) जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़।

1/1 जसवीर सिंह पुत्र आत्मा सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़।

2. गुरभगत सिंह दतक पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़।

3. जंगीर सिंह पुत्र कपूर सिंह (फौत) जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़।

3/1 जगदेव सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़।

4. वरयाम सिंह पुत्र जस्सा सिंह (फौत) जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़।

4/1 महेन्द्र सिंह पुत्र वरयाम सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़।

5. बोहड सिंह पुत्र मल सिंह (फौत) जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़।

5/1 गुरदीप सिंह पुत्र बोहड सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़।

5/2 हरमीत सिंह पुत्र बोहड सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़।

6. लखविन्द्र कौर पुत्री मोहर सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़।

जिला हनुमानगढ़  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

7. टिका सिंह पुत्र गुलजार सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8. रविन्द्र सिंह पुत्र गुलजार सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
9. सुखमन्द्र कौर पत्नी गुलजार सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
10. प्रकाश पुत्र गुरजंट सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
11. पिला सिंह पुत्र बक्शी सिंह (फौत) जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
- 11/1 बलराज सिंह पुत्र पिला सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
12. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा सादुलशहर
13. शाखा प्रबंधक पीएनबी शाखा हनुमानगढ़
14. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।



— प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :- 22/3/23

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुडानियां वकील वादी मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

- (A) चक 21 एएमपी खाता संख्या 72/52 की राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति निम्न प्रकार है -
1. टिकासिंह पुत्र गुलजारसिंह (380/4554 हि. विवादित) हिस्सा जाति जटसिख सा. सिंहपुरा राहिन हिस्सा-190/2277 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा सादुलशहर
2. प्रकाश पुत्र गुरजंटसिंह (253/4554 हि. विवादित) जाति जटसिख सा. सिंहपुरा
3. मकखनसिंह पुत्र केहरसिंह (3542/4554 हि. विवादित) जाति जटसिख सा. सिंहपुरा राहिन-7/9 हिस्सा पंजाब नेशनल बैंक शाखा हनुमानगढ़ जंक्शन
4. पिलासिंह पुत्र बक्शीसिंह (253/4554 हि. विवादित) जाति जटसिख सा. सिंहपुरा
5. रविन्द्रसिंह पुत्र गुलजारसिंह (253/9108 हि. विवादित) जाति जटसिख सा. सिंहपुरा राहिन 1/36 हि. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा सादुलशहर
6. सुखमन्द्रकौर पत्नि गुलजारसिंह (253/9108 हि. विवादित) जाति जटसिख सा. सिंहपुरा राहिन 1/36 हि. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा सादुलशहर

प.न.114/155 मु.न. 06 कि.न. 03/0.253,04/0.253 प.न. 116/165 मु.न. 52 कि.न. 16/01/0.228,16/02/0.025 प.न. 118/164 मु.न. 47 कि.न. 11,12,13,14/1.012

15/01/0.228,15/02/0.025, 17,18,19,20,21,22,23,24/2.024 25/01/0.228,25/02/0.025  
इस प्रकार कुल 4.554 है। नहरी मय गै.मु. खाला दर्ज रिकॉर्ड ऑनलाईन जमाबन्दी है।

(B) चक 21 एएमपी खाता संख्या 72/52 की मौका अनुसार स्थिति निम्न प्रकार है -

1. वादी मक्खन सिंह पुत्र केहर सिंह जाति जटसिख सा. हनुमानगढ़ के कब्जा काशत की भूमि-  
प.न. 118/164 मु.न. 47 कि.न. 11,12,13,14/1.012 है., 15/01/0.228 है., 15/02/0.025 है.  
17,18,19,20/1.012 है. 21,22,23,24/1.012 है., 25/01/0.228 है.,25/02/0.025 है. कुल रकबा  
3.542 है. नहरी मय गै.मु. खाला
2. प्रतिवादी-10 प्रकाश पुत्र गुरजण्टसिंह जाति जटसिख सा. सिंहपुरा के कब्जा काशत की भूमि  
प.न. 114/155 मु.न. 06 कि.न. 3,4/0.506 है. कुल रकबा 0.506 है. नहरी
3. प्रतिवादी-07 टिकासिंह पुत्र गुलजारसिंह प्रतिवादी-08 रविन्द्रसिंह पुत्र गुलजारसिंह प्रतिवादी  
09 सुखमन्द्रकौर पत्नी गुलजारसिंह जाति जटसिख सा. सिंहपुरा के कब्जा काशत की भूमि-  
प.न.116/165 मु.न. 52 कि.न. 16/01/0.228 है., 16/02/0.025 है., 17/0.253 है. कुल रकबा  
0.506 है. नहरी मय गै.मु. खाला
4. प्रतिवादी-11 पिल्लासिंह पुत्र बक्शीसिंह, बलकरणसिंह पुत्र पिल्लासिंह जाति जटसिख सा.  
सिंहपुरा के कब्जा काशत उक्त खाता में नहीं हैं।

(C) चक 19 एएमपी खाता संख्या 90/07 की राजस्व रिकॉर्ड स्थिति निम्न प्रकार है-

1. आत्मासिंह पुत्र लालसिंह (506/1240 हि. विवादित ) जाति जटसिख सा. शाहपीनी
2. गुरभक्तसिंह दत्तकपुत्र करनैलसिंह (506/1240 हि. विवादित ) जाति जटसिख सा. शाहपीनी
3. जंगीरसिंह पुत्र कपूरसिंह (161/1240 हि. विवादित ) जाति जटसिख सा. शाहपीनी
4. वरयामसिंह पुत्र जगासिंह (1429/1240 हि. विवादित ) जाति जटसिख सा. शाहपीनी
5. बोहडसिंह पुत्र मलसिंह (160/1240 हि. विवादित ) जाति जटसिख सा. शाहपीनी
6. मक्खनसिंह पुत्र केहरसिंह (986/1240 हि. विवादित ) जाति जटसिख सा. शाहपीनी
7. लखविन्द्रकौर पुत्री मोहरसिंह (161/1240 हि. विवादित ) जाति जटसिख सा. शाहपीनी

(D) चक 19 एएमपी खाता संख्या 90/07 की मौका अनुसार स्थिति निम्न प्रकार है-

1. वादी मक्खनसिंह पुत्र केहरसिंह जाति जटसिख सा. हनुमानगढ़ जंक्शन के कब्जा काशत की  
भूमि- प.न. 118/165 मु.न. 15 कि.न. 14/0.038 है., 15/0.089 है., 16/0.253 है., 17/0.253 है.  
प.न. 119/165 मु.न. 14 कि.न. 11/0.101 है., 20/0.253 है. कुल रकबा 0.987 है. नहरी
2. प्रतिवादी गुरभक्तसिंह दत्तक पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख सा. शाहपीनी के कब्जा काशत  
की भूमि- प.न. 119/165 मु.न. 14 कि.न. 12/0.202 है., 11/0.051 है. कुल रकबा 0.253 है.  
नहरी



सत्यमेव जयते  
Web Copy - Not Official

म  
क  
अधिकारी  
संसाधन

प्रतिवादीगण आत्मासिंह पुत्र लालसिंह, जंगीरसिंह पुत्र कपूरसिंह, बोहडसिंह पुत्र मलसिंह, लखविन्द्रकौर पुत्री मोहरसिंह, बरयामसिंह पुत्र जस्सासिंह की कब्जा काशत उक्त खाता में नहीं हैं।

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने एवं तहसीलदार संगरिया की रिपोर्ट अनुसार उक्त काशतकारान के अलावा सह खातेदारों का मौके पर कब्जाकाशत नहीं होने से उनका नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भूअ. संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा. डिक्री/भूअ./023/889 दिनांक 22.03.2023 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.......... मुब्लिक.......... बाबत 100/- खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..........को अदा करे ।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22/3/2023 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



22/3/2023  
(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
संगरिया